#### उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसिमशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उप्राठ सरकार का उपक्रम)

#### **U.P.** Power Transmission Corporation Itd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687

**GSTN: 09AAACU8823E1Z9** 

कमरा नं0 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 रैक्स संख्या — 8320



Room No. 320,

Illrd Floor, Shakti Bhawan,

14-Ashok Marg, Lucknow-226001

E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र संवः 109 /30म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2018

दिनांक |4|1 1 /2018

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 मुख्य अभियन्ता (डी०एण्डपी०)/765के०वी०/ सी० एण्ड सी०/सी०एम०यू०टी०/जानपद (i)/(ii) पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण उ० प्र० पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लि० लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा

### विषय:- Public Sector Undertaking द्वारा Public Sector Undertaking को भुगतान के समय GST-TDS काटे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

वित्त मैत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं0-61/2018-Central Tax dated 05 November, 2018 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किसी भी Public Sector Undertaking के द्वारा किसी अन्य Public Sector Undertaking को भुगतान के समय GST-TDS नहीं काटा जायेगा। ज्ञात हो कि माह 01 नवम्बर, 2018 से किसी भी Public Sector Undertaking के भुगतान के समय कोई भी GST-TDS न काटा जाए एवं सुनिश्चित करें कि किसी अन्य Public Sector Undertaking के द्वारा UPPTCL का GST-TDS काटा न गया हो।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश भारती) लेखाधिकारी (टैक्स)

पत्र संाः / खामाण्याः / जीण्यसाव्योधः सैल / 2017—18 तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1— प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2— निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा0)/वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि०/एस०एल०डी०सी०/वाणिज्य एवं नियोजन उ० प्र० पावर ट्रान्सिमेशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।

3- महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) उ० प्रव पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

4- उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।

5— उप महाप्रबन्धक (निधि) / मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उо до पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

6— अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निर्देशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लि०, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्।

> (आकाश भारती) लेखाधिकारी (टैक्स)



## [To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

# Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) Central Board of Indirect Taxes and Customs Notification No. 61/2018 – Central Tax

New Delhi, the 5th November, 2018

G.S.R. .....(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1, read with section 51 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 50/2018-Central Tax, dated the 13th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R 868(E), dated the 13th September, 2018, namely:—

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both from a public sector undertaking to another public sector undertaking, whether or not a distinct person, with effect from the I<sup>st</sup> day of October, 2018.".

[F. No. CBEC/20/06/16/2018-GST]

(Dr. Sreeparvathy S.L.) Under Secretary to the Government of India

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 868 (E), dated the 13<sup>th</sup> September, 2018 and subsequently amended vide notification No. 57/2018-Central Tax, dated the 23<sup>rd</sup> October, 2018, published vide number G.S.R 1057(E), dated the 23<sup>rd</sup> October, 2018.